तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुषमा भार्गव बनाम हरनाम सिंह व अन्य अपील संख्या 2026/117	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उन्होने प्रार्थना पत्र बाबत अन्य नई अपील की स्वीकृति के साथ वापस लौटाये जाने पत्रावली पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी थी परन्तु गलती/भूलवश उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलार्थी उक्त अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वीकृति के साथ विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृती के उक्त अपील को विड्रो फरमाने के आदेश प्रदान करावें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है। अतः अधिवक्ता अपीलान्ट को हस्तगत अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस लौटाई जावें तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	